न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97(1) पंचायतीराज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या–05 / 2026

1. उर्मिलादेवी पत्नी श्री सुभाष गोदारा जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– आवेदक / प्रार्थीया–

बनाम

1. प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर हनुमानगढ़ जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर।
2. ग्राम पंचायत फेफाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. रविन्द्र भादू पुत्र श्री सुभाषचन्द जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. सन्दीप कुमार पुत्र श्रीर हजारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. सत्यप्रकाश पुत्र श्री रणजीतसिंह जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. राजेशकुमार पुत्र श्री सीताराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. बजरंग पुत्र श्री भल्लेराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. श्रवणकुमार पुत्र श्री शेरसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. कालूसिंह राजपूत पुत्र श्री कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. सन्तलाल सुपुत्र श्री इन्द्रजीत हुडडा जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
11. मनोजकुमार पुत्र श्री वेदप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
12. हरिसिंह पुत्र श्री भियाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:45:50 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

13. श्रवणकुमार पुत्र श्री सोहनलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

अनावेदकगण/अप्रार्थीगण

14. आनन्दप्रकाश पुत्र श्री लिखमाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
15. वेदप्रकाश पुत्र श्री लिखमाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
16. सुभाष गोदारा पुत्र श्री हरिशचन्द्र गोदारा जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

— तरतीबी अनावेदकगण

उपस्थितः— श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता प्रार्थीया।
श्री रोहिताश सिहाग अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या—1
श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या—3, 5 ता 9, 12, 13

निर्णय दिनांकः— 21/04/2026

निगरानीकर्ता/प्रार्थीया उर्मिलादेवी पत्नी श्री सुभाष गोदारा जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर द्वारा निर्णय दिनांक 29.10.2025 बअदालत प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर को अपास्त करवानें बाबत निगरानी पेश की गई है जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है—

1. अपीलांटस अनावेदकगण की तरफ से एक अपील संख्या 97/2025 अनवानी समस्त ग्रामवासी ग्राम फेफाना जरिये प्रतिनिधि रविन्द्र भादु आदि अपीलाट बनाम ग्राम पंचायत फेफाना आदि रेस्पोडेन्ट आवेदकगण प्रार्थीगण के खिलाफ अपील इस तथ्य के साथ प्रस्तुत की अपीलार्थीगण गांव फेफाना के रहने वाले है। आबादी भूमि फेफाना में 100 वर्षो से भी अधिक समय से बरसाती पानी भण्डारण के लिए मुसानी जोहड़ी व आर्य समाज जोहड के नाम से दो जोहड़ स्थित है, उक्त दोनो जोहड़ो में सदामत से आबादी भूमि का समस्त बरसाती पानी इकट्टा होता रहा है, जो पानी पुराने समय से पीने के व पशुओ के पीने हेतु समस्त ग्रामवासियों के उपयोग, उपभोग में आता रहा है तथा उक्त दोनो जोहड में से एक जोहड का माप उतर से दक्षिण 500 फुट व पूर्व से पश्चिम 250 फुट है। जिसको वर्तमान में स्वामी दयानन्द पार्क के नाम से जाना जाता है। जिसके उतर में इन्द्रजीत हुड्डा व नन्द[illegible] आदि के पुराने मकान दक्षिण में गोपीराम गोदारा, वेदप्रकाश [illegible] पूर्व में इन्द्राज शर्मा, भुराराम धामु, मनीराम पिलानियां आदि के पुराने मकान [illegible] पश्चिम में रामप्रताप गोदारा मदन गोदारा, देवसीराम सहारण आदि के पुराने मकान स्थित है। इसी प्रकार दुसरे जोहड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:45:50 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)
सत्यमेव जयते

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

का माप उत्तर से दक्षिण 375 फुट पूर्व से पश्चिम 430 फुट है जिसके आसे पासे दर्ज करते हुए जिसको मुसानी जोहड के नाम से जाना जाता है चूंकि आबादी भूमि फेफाना हनुमानगढ जिले में गांव् की दृष्टि में सबसे बडी आबादी है, ऊपर वर्णित अनुसार सदामत से उक्त दोनो जोहड़ो में बरसाती पानी इकट्ठा हो जाने से बरसात के दिनों में पानी भराव नही होने के कारण तथा उक्त पानी का पशुओं व निवासियों के उपयोग में लिया जाता रहा है इसलिये समस्त ग्रामवासी फेफाना ने इन दोनो जोहड से हित जुडे है। इस वर्ष गत दिनांक 30.06.2025 व 31.08.2025 को मानसूनी बरसात होने से गांव में पानी इकट्ठा हो गया व घरों मे जाने लगा जिस पर अपीलार्थीगण व गांव के अन्य वासिन्दगान द्वारा उक्त बरसाती पानी को ऊपर वर्णित दोनों जोहड़ो की ओर दिनांक 01.09.2025 को निकालना चाहा तो देखा कि उक्त दोनो जोहड़ों में जगह जगह मिटटी से भर्ती कर जोहडो की गहराई को कम कर रखा है जिसस उक्त दोनो जोहडो में क्षमतानुसार पानी इकटठा नहीं होने के कारण बरसाती पानी गांव की गलियों व घरों में घुस रहा है इसलिये अपीलार्थीगण व अन्य गांव के वाशिंदगान द्वारा ट्रेक्टरों आदि से जोहड में गिराई गई मिट्टी का हटाते हुए दोनो जोहड़ों में गांव की गलियों व घरों में से इकटठे हुए पानी को डालना चाहता तो प्रत्यार्थी नम्बर 2 ता 19 वहां आये तथा अपीलार्थीगण व गांव के अन्य वाशिंदगान को मिट्टी हटाने से रोकते हुए इस पानी को निकालने से रोका, जिस पर अपीलार्थीगण व गांव के अन्य वाशिंदगान द्वारा उक्त जगह को जोहड की भूमि होना व इस जगह में सदा से ही बरसाती पानी इकट्ठा होने का हवाला दिया तो प्रत्यार्थीगण नम्बर 2 ता 19 ने इस जगह के अपने अपने नाम के पट्टे बना रखे होना कहते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 8 ने पट्टो की नकल अपीलार्थीगण व उपस्थित गांव के अन्य वाशिदगान को दी। प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 8 द्वारा दी गई पट्टो की प्रतियों के अवलोकन से पता चला कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 6 के पक्ष में अलग अलग समय में ऊपर वर्णित मुसानी जोहडी व आर्य समाज जोहड जिसको वर्तमान में स्वामी दयानन्द पार्क के नाम से जाना जाता है, की भूमि पर के अलग अलग माप में पट्टे जारी कर रखे है तथा प्रत्यर्थी से 9 ता 19 ने अपने अपने नाम से प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा पट्टे जारी होना बताया है और उक्त पट्टों के आधार पर ही प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 19 द्वारा जोहड की भूमि पर मिट्टी भर्ती कर रखी है, जिससे उक्त दोनो में क्षमतानुसार पानी [illegible] नहीं होने से बरसाती पानी गांव की गलियों व घरों में घुस रहा है जिस पर अपीलार्थीगण व उपस्थित शेष वाशिंदगान द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 19 को उक्त पट्टे जोहड की भूमि पर होने से खारिज करवाने व जोहड की भूमि पर की गई मिट्टी भर्ती को हटा लेने का कहा तो प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 19 इन्कार कर दिया तथा अपीलार्थीगण व अन्य गांव के वाशिंदगान

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:45:50 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

को यह धमकी दी की उक्त पट्टो के आधार पर वे जल्द ही पुख्ता निर्माण करेगे, बरसाती पानी भण्डारण से उक्त बरसाती पानी से गांव के घर डुबने से उनको कोई सरोकार नहीं है। अपीलार्थीगण को जो मन में आये वो करे, जिस पर समस्त ग्रामवासियों द्वारा गांव मे पचायत कर प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 19 के पटटे जोहड़ की भूमि पर होने से उक्त पट्टो को खारिज करवाने हेतु प्रत्यर्थी संख्या 1 के समक्ष निवेदन किया गया तो प्रत्यर्थी संख्या 1 ने पट्टा को खारिज करवाने से इन्कार कर दिया। जिस पर समस्त ग्रामवासियों द्वारा उक्त पटटो के खिलाफ कानुनी कार्यवाही करने बाबत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है। अपीलांधीन पट्टे मुसानी जोहडी व आर्य समाज की भूमि पर जारी है। उक्त दोनो जोहड़ की भूमि सार्वजनिक हित की है, जिसका ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है तथा अपीलाधीन पट्टे पुराने ग्रह के विनियमितिकरण के तहत नियम 157 के तहत जारी होना अंकित है जबकि यह भूमि जोहड की भूमि है, जिसमें पानी का भण्डारण होता रहा है। पट्टा धारकों का कभी कब्जा या निर्माण नही रहा है, इसलिये नियम 157 के तहत पट्टे जारी नही किये जा सकते है। प्रत्यर्थी नम्बर 1 द्वारा कुछ पट्टे आबादी भूमि विक्रय विलेख के तहत नियम 167 में जारी होना अंकित किया है जबकि उक्त भूमि जोहड़ की भूमि हैं जो सार्वजनिक उपयोग की है। इसलिये किसी व्यक्ति विशेष के नाम से निलामी या अन्य तरह से विक्रय नही किये जा सकते है। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 47 के पक्ष में पटटे जारी कर दिये जाने से प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 47 जोहड़ में जाने वाले पानी को रोक रहे है तथा ग्रामवासियों की उक्त जोहड की खुदाई करने व उक्त जोहड के सार्वजनिक हेतु किये जाने वाले कार्य को भी पट्टो के आधार पर रोक रहे है। इसलिये इन पटटो को खारिज किया जावें।

2. राजस्थान पंचायत राज अधिनियम सन 1994 की धारा 61 (1) के अन्तर्गत पेश अपील को दर्ज की जाकर पक्षकारान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तो आवेदकगण प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टस ने अपना जवाब नोटिस प्रस्तुत किया कि ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा आवेदकगण प्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 के पक्ष में व अन्य के पक्ष में आबादी भूमि में जारी किये गये भूमि विक्रय विलेख (पट्टा) दिनांक 14.11.1981 पर आपति की गई। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि तीनों रेस्पोडेन्ट संयुक्त रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे है रेस्पोडेन्ट आवेदक[illegible] अपील संख्या 16/2004 अनवानी हेतराम आदि बनाम [illegible] नोहर में प्रस्तुत की थी, जिसका निर्णय दिनांक 26.12.2008 [illegible] है जिसमें उक्त निर्णय में पंचायत समिति नोहर ने ग्राम पंचायत द्वारा जारी भूमि विलेख पत्र में आवेदकगण नम्बर 1 व 3 के पक्ष में जारी पटटे दिनांक 11.11.1981 व 14.11.1988 एवं 08.11.1999 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:45:50 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

आबादी भूमि में विधि सम्मत मानते हुए बहाल रखा है तथा अपील संख्या 16/2004 को खारिज कर दी गई तथा इसी प्रकार आवेदक नम्बर 2 प्रार्थी के जारी पट्टा दिनांक 14.11.1981 व दिनांक 08.11.1999 के खिलाफ अपील संख्या 7/2002 अनवानी मनोजकुमार बनाम वेदप्रकाश आदि प्रस्तुत की जो अपील पंचायत समिति नोहर ने दिनांक 26.12.2008 खारिज फरमा दी गई तथा ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा जारी पटटे को विधि सम्मत माना है तथा उक्त अपील में अपीलांट मनोजकुमार इस अपील संख्या 7/2025 में अपीलांट नम्बर 9 है, तथा उसको समस्त ज्ञान होते हुए अपीलांटस अनावेदकगण ने 44–45 साल बाद प्रस्तुत की है, जो अन्दर मियाद नहीं है। इसके अलावा मौका पर भुखण्डो के चारों तरफ चार दीवारी 10 फुट उंची चार दीवानी 50 X 20 के दो मकान बने हुए पानी की कुण्ड, बिजली एवं पानी के कनेक्शन चालू है तथा बिजली का कनेक्शन दिनांक 01.01.2000 से चालू है, जो कार्यालय सहायक अभियन्ता की रिपोर्ट दिनांक 17.12.2025 से साबित है इसके अलावा उदराम पुत्र तारूराम के पटा 50 X 90 = 4500 वर्गफुट 14.11.1981 व दिनांक 08.11.1999 को ग्राम पंचायत में जारी है पंचायत समिति अपने निर्णय दिनांक 26.12.2008 में विधि सम्मत बहाल माना है जिसको उदराम पुत्र तारूराम ने अपनी पुत्री आवेदक प्रार्थिया उर्मिलादेवी के पक्ष में दिनांक 06.12.2019 को दान पत्र कर दिया है तथा अब उक्त प्लाट भूखण्ड उर्मिला देवी के उपयोग उपभोग में चला आ रहा है मगर मातहत अदालत ने आवेदक प्रार्थिया ने जब यह जवाब नोटिस दिया था कि इन प्रश्नगत प्लाटो के बाबत पूर्व में निर्णय पंचायत समिति द्वारा दिनांक 26.12.2008 में किये जा चुके है तो फिर उक्त निर्णयों का अपने निर्णय दिनांक 29.10.2025 में आवेदक प्रार्थिया को पक्षकार ना बनाते हुऐ उनके पिता उदराम के नाम से जारी पटटो दिनांक 14.11.1981 व 18.11.1999 को अपने निर्णय के ऑपरेटिव पोर्शन यह फाईण्डिग देते हुए अपने निर्णय में आदेश दिया है कि प्रशासन स्थापना स्थायी समिति की बैठक दिनाक 29.10.2025 को प्रस्ताव संख्या 1/32 द्वारा सर्व सम्मति से लिये गये निर्णय अनुसार अपील अपीलार्थीगण सार्वजनिक हित में स्वीकार की जाती है व ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटे जिनका विवरण ऊपर वर्णित किया है, सार्वजनिक उपयोग की जोहडो की भूमि व रास्तो की भूमि में होने की वजह से खारिज किया जाता है तथा मौका निरीक्षण पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार उक्त सार्वजनिक जोहडों की भूमि व रास्तो की भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु ग्राम पंचायत को आदेशित किया जाता है। तथा साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि उक्त सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर ऊपर वर्णित पटटों के अलावा अन्य कोई पटटा भी जारी है, तो वह पटटा भी इस निर्णय के अनुसार खारिज समझा जावें । उक्त नियम विरूद्ध निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:45:50 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 29.10.2025 के आधार पर पारित आदेश से आवेदकप्रार्थीया के पिता के नाम जारी पटटा दिनांक 14.11.1981 व 14.11.1981 व दिनांक 08.11.1999 भी खारिज माना है। उक्त पट्टा जो मेरे पिता उदाराम पुत्र तारूराम के नाम से जारी है, जिनके आधार पर आवेदक प्रार्थीया दिनांक 16.12.2019 को 50 X 90 फुट यानि 4500 वर्गफुट पटटे का दानपत्र आवेदिका प्रार्थीया के पक्ष में तस्दीक रजिस्टर्ड करवा दिया है । का कोई उल्लेख ना कर नियम विरूद्ध निर्णय पारित किया है तथा रेसज्यूडीकेटा के सिद्धान्त की अवहेलना करते हुए निर्णय पारित किया है तथा अपीलांट अनावेदकगण नम्बर 3 ता 11 ने राजनैतिक द्वेषता से वंशीभूत होकर प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर से अपनी अपील में विधि विरूद्ध मौका रिपोर्ट जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना में तैयार की है तथा एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर तरतीबी अनावेदकगण 14 ता 16 के पटटे दिनांक 14. 11.1981 एवं व को अपने निर्णय दिनांक 29.10.2025 प्रस्ताव संख्या 1 (32) के आधार पर नियम विरूद्ध खारिज किये गये है तथा आवेदक प्रार्थीया के पिता के नाम जारी पटटे दिनांक 14.11.1981 व 08.11.1999 नियम विरूद्ध फाईण्डिग देते हुए खारिज कर दिया तथा ग्राम पंचायत को यह आदेश दिया है कि वे ग्राम पंचायत के अधिकार की सार्वजनिक जोहडो की व सड़क निष्य की भूमि घोषित किया है जिससे आवेदक प्रार्थीया को बिना पक्षकार बनाये उसके पिता के नाम जारी पटटे ओर उसके आधार पर रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 16.12.2025 बहक आवेदक प्रार्थिया पर भी सारवान असर आता है। जिससे उसको अपूर्णीय क्षति होती है। जिससे आवेदक प्रार्थीया बतौर तृतीय पक्षकार तृतीय पक्षकार यह निगरानी निर्णय दिनांक 2910–2025 ब अदालत मातहत को निरस्त करवाने हेतु तथा आवेदक प्रार्थीया के नाम जारी पटटो को बहाल करवाने बाबत यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत करते है–

(क) निर्णय दिनांक 29.10.2025 बअदालत मातहत बखिलाफ कानून, नियम व वाक्यात एवं रुएदाद मिसल है तथा विधि की भंयकर अवहेलना में पारित किया है तथा काबिल मन्सूखी है। तथा सत्य प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 29.10.2025 संलग्न निगरानी है।

(ख) मातहत अदालत ने आवेदक प्रार्थीया को बिना पक्षकार बनाये बिना उसको समुचित सुनवाई का मौका दिये उसके जवाब नो[illegible] कोई गौर नही किया है, जिसमें उन्होने अपने पिता के पक्ष [illegible] 1981 व 08.11.1999 को पंचायत समिति ने अपने दिनांक 26.12.2008 [illegible] विधि सम्मत मानते हुए बहाल रखा है मगर मातहत अदालत ने अपने दिनांक 29.10.2025 में कोई हवाला इस निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:45:50 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

का नही दिया है तथा निर्णय दिनांक 29.10.2025 बअदालत कतई मनमाना, स्वैच्छाचारी व नियम विरूद्ध है तथा काबिल निरस्तनीय है।

(ग) मातहत अदालत ने इस मौका रिपोर्ट को अपने निर्णय का आधार माना है तथा मौका रिपोर्ट मौका की स्थिति के खिलाफ जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त तरतीबी अनावेदकगण नम्बर 14 ता 16 व आवेदक प्रर्थीया के भुखण्ड, जो पट्टाशुदा के चारों तरफ चार दीवारी बनी हुई है तथा मकान बने हुए है तथा पानी का कनेक्शन व बिजली का कनेक्शन चालू है तथा तरतीबी अनावेदक नम्बर 16 के नाम से दिनांक 01.01.2000 से विधुत कनेक्शन चालू है तथा उक्त प्लॉट सन 1981 व सन 1999 जो मेरे पिता के नाम ग्राम पंचायत द्वारा मौका की स्थिति के अनुसार जांच कर नियमानुसार ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गए है को मातहत अदालत को खारिज करने का आदेश पारित करने का अधिकार नहीं था फिर भी मातहत अदालत ने अपने निर्णय दिनांक 29.10.2025 में आवेदक प्राथिंया के पिता के नाम जारी पट्टो को पट्टे को निरस्त कर कानूनी गल्ती है तथा निर्णय दिनांक 29.10.2025 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है तथा काबिल अपास्तनीय है।

(घ) मातहत अदालत ने अपने निर्णय में मौका रिपोर्ट जो प्राकृतिक न्याय व सहज के खिलाफ है को आधार मानकर मौका पर मिटटी भरती होना बताया जबकि मौका पर पक्का निर्माण बीस सालो से ज्यादा समय से है पुराना निर्माण है इसी आधार पर ग्राम पंचायत के प्रावधान के अनुसार आवेदक प्रार्थीया के पिता व तरतीबी अनावेदक नम्बर 14 ता 16 को पट्टे विधि सम्मत जारी किये थे जबकि जोहड़ के पटटे 500 X 250 फुट का कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत में नहीं है, केवल पंचायत समिति प्रशासन व स्थापना स्थाई समिति नोहर राजनैतिक पूर्वग्रह से ग्रसित होकर यह निर्णय जल्दीबाजी में पारित किया है जो एम्बीग्यूस व वेग है तथा बिना किसी सही आधार पर सहज न्याय के खिलाफ है तथा निर्णय दिनांक 29.10.2025 इसी आधार पर काबिल खारिजी है।

(ड़) मातहत अदालत ने अपने निर्णय दिनांक 29.10.2025 जो प्रस्ताव संख्या 1 (32) के आधार पर पारित किया है तथा आवेदक प्रार्थीया के पिता के नाम विधि सम्मत पटटे सन 1981 व सन 1999 को [illegible] पंचायत समिति द्वारा 26.12.2008 में विधि सम्मत मानते हुए बहाल रखा है तो अपने उक्त निर्णय में [illegible] आवेदक प्रार्थीया जवाब नोटिस के साथ निर्णय दिनांक 26.12.2008 पेश किया [illegible] तो उसका हवाला नही दिया है, उस पर कोई राय व फाईडिंग नही देकर रेस ज्यूडीकेटा के सिद्धान्त की अवहेलना में निर्णय दिनांक 29.10.2025 पारित किया है तथा साथ में आवेदकगण के पटटे

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:45:50 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

शुदा भूखण्ड को सार्वजनिक ग्राम पंचायत भूमि व सडक की मानने का आदेश पारित कर कानून के मान्य सिद्धान्तो की अवहेलना करते हुए उक्त निर्णय व आदेश पारित किये है जो किसी भी प्रकार बहाल नही रखे जा सकते है, तथा निर्णय दिनांक 29.10.2025 बअदालत मातहत इस आधार पर काबिल मन्सूखी है।

(च) निर्णय दिनांक 29.10.2025 बअदालत मातहत निर्णय की परिभाषा में नही आता है तथा उक्त निर्णय पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय अपना न्यायिक स्व–विवेक काम नही लिया है, कानून के मान्य सिद्धान्तो को अनदेखा करते हुए पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधि सम्मत पट्टे बहक आवेदक प्रार्थीया के पिता के नाम जारी पट्टे खारिज करने में प्राकृतिक न्याय व सहज न्याय के सिद्धान्तो की अवहेलना में पारित किया है जो आवेदक प्रार्थीया को बिना पक्षकार बनाये सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके पिता के नाम जारी पटटे खारिज करने का आदेश दिया है, जिससे उनके पिता के द्वारा आवेदक प्रार्थिया को कराया गया दानपत्र दिनांक 16.12.2019 पर विपरित असर पडता है, तथा उक्त निर्णय कानून की दृष्टि निर्णय व आदेश नही माने जा सकते है तथा ना ही किसी तरीके से बहाल रखें जा सकते है तथा निर्णय दिनांक 29.10.2025 इसी आधार पर काबिल निरस्तनीय है।

(छ) मातहत अदालत ने इस कानूनी बिन्दू पर कतई गौर नही किया कि उक्त अपील अपीलाटस अनावेदकगण प्रार्थीगण की अपील कतई अन्दर मियाद नहीं थी इस अपील में विधि सम्मत पटटे बहक आवेदक प्रार्थीया के पिता के नाम उदाराम पुत्र तारूराम सन 1981 व 1999 को खारिज करने से पहले मियाद के बिन्दू पर कोई निर्णय पारित नहीं किया है, पहले अपील का निर्णय नही किया जा सकता है जबकि उक्त पटटे शुदा भूखण्ड बाबत जारी पटटों का अपीलांटस अनावेदकगणको को शुरू से ज्ञान है तथा उक्त अपील अपीलांट नम्बर 9 मनोजकुमार पुत्र श्री वेदप्रकाश ब्राहम्ण ने उक्त पटटों के खिलाफ पंचायत समिति में अपील प्रस्तुत की थी जिनका निर्णय दिनांक 26.12.2008 को हो चुका है। मनोजकुमार अपीलांट नम्बर 9 की अपील खारिज कर उक्त प्रश्नगत पट्टे बहक तरतीबी अनावेदक नम्बर वेदप्रकाश का पट्टे बहाल रखे थे तथा एक अन्य अपील में हेतराम आदि बनाम आनन्दप्रकाश आदि में आनन्दप्रकाश व सुभाष गोदारा के पट्टे व मेरे पिता उदाराम पुत्र तारूराम के पट्टो को निर्णय दिनांक 26.12.2008 को विधि स[illegible] है। तथा उक्त निर्णय अंतिम है तथा उसकी कोई निगरानी [illegible] अपीलांट अनावेदकगण की अपील संधारण योग्य नहीं थी, फिर भी मातहत [illegible]दालत ने इतने महत्वपूर्ण बिन्दू पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:45:50 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

कोई गौर ना कर राजनैतिक द्वेषता से वंशीभूत कर जल्दीबाजी में नियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 29.10.2025 पारित किया है, जो काबिल निरस्तनीय है।

अतः निगरानी आवेदक प्रार्थीया की तरफ से पेश कर निवेदन है कि निगरानी आवेदक प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 29.10.2025 जो प्रस्ताव संख्या 1 (32) के आधार पर पारित किया है को निरस्त फरमाया जावे तथा उक्त निर्णय के आधार पर पारित आदेश को निरस्त करते हुए आवेदक प्रार्थीया के पिता उदाराम पुत्र तारूराम के नाम जारी पटटे दिनांक 14.11.81 व 08.11.99 को विधि सम्मत मानते हुए बहाल किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

निगरानी पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–01 की ओर से श्री रोहिताश सिहाग एडवोकेट उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या– 02 बाद तामिल उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी संख्या–3, 5 ता 9, 12, 13 की ओर से श्री रविन्द्र गोदारा एडवोकेट उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 4 10, 11 बाद तामिल उपस्थित नहीं हुए इसीलए एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय से निगरानीधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–3, 5 ता 9, 12, 13 द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि न्यायायल निगरानी का निर्णय गुणावगुण के आधार पर पारित करे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–01 द्वारा बहस में कथन किया गया कि न्यायालय अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति, पंचायत समिति नोहर द्वारा सार्वजनिक हित में निर्णय पारित किया गया है, जो सही है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा मूल पत्रावली का अध्ययन किया गया। पत्रावली का अध्ययन करनें पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर द्वारा दिनांक 29.10.2025 को पारित निर्णय में अंकित किया कि *"ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा जारी पट्टे सार्वजनिक उपयोग की भूमि व रास्ता की भूमि पर होनें के कारण खारिज किया जाता है व मौका निरिक्षण कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार उक्त सार्वजनिक जोहड़ो की भूमि व रास्ता आम की भूमि पर से अतिक्रमण हटाने हेतु ग्राम पंचायत को आदेशित किया गया जाता [illegible]थ ही सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर उपर वर्णित पट्टो के [illegible] तो व पट्टा इस निर्णय अनुसार खारिज समझा जावे मौका निरीक्षण कमेटी [illegible]ारा पेश नक्शा अनुसार जगह को*

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:45:50 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

ग्राम पंचायत के अधिकार की सार्वजनिक जोहड़ो की व सड़क की भूमि घोषित किया जाता है''।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.2025 को पारित निर्णय में सार्वजनिक उपयोग व रास्ता की भूमि पर ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा जारी पट्टों को खारिज किया गया। न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर द्वारा दिनांक 29.10.2025 को पारित निर्णय सार्वजनिक हित में है। अतः न्यायालय पंचायत समिति नोहर के निर्णय के हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज योग्य होनें से खारिज की जाती है। पत्रावली फेसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21/5/26 को सरेइजलास सुनाया गया।

(संजू पारीक आर.ए.एस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:45:50 IST
Reason: SelfAttested